सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

भारत के संविधान के अनुच्छेद 338(क) के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय

"बी" विंग, छठा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003

दिनांक 09 सितम्बर, 2024 को झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा, द्वारा किए गए दौरे का समीक्षा रिपोर्ट

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No. Review/46/JH(Dist-Hazaribag)/2024-Coord (Computer No. 24659)
Generated from eOffice by Rahul, INVESTIGATOR-ESDW, INVESTIGATOR, O/o Chairperson-NCST on 21/01/2025 05:07 pm

आयोग के दौरे के दौरान आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारी आयोग की माननीय सदस्या के साथ उपस्थित रहे :

क्र. स.	नाम	पद
1.	**डॉ आशा लकड़ा**	**माननीय सदस्या**
2.	श्री आर के दुबे	उप निदेशक
3.	श्री पी. के. दास	अनुसंधान अधिकारी
4.	श्री कुशेश्वर साहू	माननीया सदस्य के निजी सचिव
5.	श्रीमती सोनल राज	वरिष्ठ अन्वेषक
6.	श्री राहुल	अन्वेषक

दिनांक 09 सितम्बर, 2024 को झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले मे छात्रावासों का दौरा, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के साथ बैठक और हजारीबाग जिले की समीक्षा बैठक आहूत की गई |

परिचय

राष्ट्रीय जनजाति जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) भारत के संविधान के अनुसार 338(क) के तहत स्थापित एक संवैधानिक संस्था है, जो उन देश में अनूसूचित जनजाति के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित सभी मामलों की अन्वेषण और निगरानी करता है । संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनूसूचित जनजातियों प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर आयोग से परामर्श करेंगे । आयोग को भारत के माननीय राष्ट्रपति को उन सुरक्षाओं के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है और ऐसी सभी रिपोर्ट संघ से संबंधित सिफ़ारिशों पर की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई और ऐसी सिफ़ारिशों के अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने होते हैं ।

1. दिनांक 09/09/24 सुबह 10 बजे : आदिवासी बालक कल्याण छात्रावास , हजारीबाग का दौरा

सुबह 10 बजे आयोग की माननीय सदस्य के नेतृत्व में आयोग के दल ने आदिवासी बालक छात्रावास , हजारीबाग का दौरा किया जिसके दौरे की शुरुवात मे सबसे पहले माननीया सदस्य छात्रों से मिली और उनके साथ पूरे छात्रावास का दौरा किया | छात्रावास में कुल दो छात्रावास भवन हैं , जिनमे से एक में कुल 29 कमरे हैं एवं दूसरे में 04 कमरे, दोनों भवनों में कुल 300 छात्र, छात्रावास में नियमित निवास करते हैं एवं वो छात्र जिले में मैट्रिक से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं |

आयोग के दल ने निरीक्षण में यह पाया कि छात्रावास के नए भवन, जिसके 2 तल में 29 कमरे हैं, उनमे क्षमता से अधिक प्रत्येक कमरे में 05 से 06 बिस्तर लगे हैं एवं छात्रावास के पुराने भवन में 04 कमरों के 14 बेड वाले प्रति कमरे कि क्षमता में 28 छात्र प्रति कमरे में रहते हैं, जो उनकी छमता से अधिक है| दुर्दशा यह है कि बंद पड़े शौचालय में छात्रों को अस्थायी अध्ययन कक्ष बनाना पड़ा है, क्योंकि पुस्तकालय की व्यवस्था, जो प्रत्येक

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

मंजिल पर होना चाहिए, छात्रावास में कार्यात्मक नहीं है। छात्रावास में छात्रों की देखभाल हेतु कोई स्थाई वार्डन या शिक्षक या प्रोफेसर की नियुक्ति नही है। छात्र अपने कमरे में अपने खर्च पर खाना बनाते हैं एवं छात्रावास में रसोईया भी उपलब्ध नहीं है| यहां कोई सुरक्षित पेय सुविधा/आर°ओ° उपलब्ध नहीं है और छात्र भूतल पर स्थित एक ट्यूबवेल पर निर्भर हैं| छात्रावास के एक तरफ, 11000 V का बिजली का तार गुजर रहा है, जिससे छात्रावास की दीवारों पर करंट प्रवाहित हो रहा है, जो बहुत ही भयावह और खतरनाक है | गैलरी में अंधेरा था क्योंकि वहां कोई बल्ब नहीं था, वोल्टेज बहुत कम थी और कमरों में पंखे अपर्याप्त थे | इसके साथ ही छात्रों को अनियमित बिजली, खराब शौचालय एवं पानी के रिसाव की समस्या झेलनी पड़ रही है, एवं सोलर बैटरी प्रणाली कार्यात्मक नहीं है |

आयोग ने छात्रावास में रह रहे छात्रों की दयनीय जीवन स्थितियों पर गौर किया। इसके अलावा, माननीया सदस्या ने छात्रों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों के बारे में छात्रों को अवगत कराया । साथ ही उन्होंने छात्रों को बताया कि आयोग अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए कार्य करता है तथा इस हेतु समर्पित है | कल्याण विभाग को छात्रावास में बिजली, पानी और शौचालय की समस्या पर त्वरित कार्रवाई चाहिए |

2. दिनांक 09/09/24 सुबह 11 बजे : अनूसूचित जनजाति बालिका छात्रावास , के. वी. महिला महाविद्यालय प्रांगण, हजारीबाग का दौरा

सुबह 11 बजे आयोग की माननीय सदस्या के नेतृत्व में आयोग के दल ने हजारीबाग के के.वी. महिला महाविद्यालय के प्रांगण में स्थित अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास का दौरा किया जिसमे सर्वप्रथम उन्होने छात्राओं से मिलकर छात्रावास का दौरा किया। आयोग के दल ने निरीक्षण के दौरान यह पाया की छात्रावास के 30 कमरों में 120 छात्राओं के रहने की क्षमता है, परंतु छात्रावास में क्षमता से अधिक 180 छात्राएँ रहती हैं एवं प्रति कमरे में 4 की जगह 6 छात्राएँ निवास कर रही हैं।

छात्रावास में बिजली की अक्सर कटौती होती है और जब भी आपूर्ति होती है तो वह कम वोल्टेज की होती है, जिससे छात्राओं की पढ़ाई बाधित होती है। छात्राओं को स्वच्छ पीने के पानी की आपूर्ति / आरओ की सुविधा नहीं है और वे ट्यूबवेल पर निर्भर हैं। हालाँकि छात्रावास की हाल ही में 2023 में मरम्मत की गई है, लेकिन भूतल के कमरा नंबर 4, 12 और 13 में और पहली मंजिल के लगभग सभी कमरे नंबर 22 से 30 में रिसाव की समस्या है, दिये गए गद्दे पुराने हैं। जल निकासी की सुविधा की समस्या के कारण शौचालय अक्सर जाम हो जाते है। छात्र 2 रसोइयों, राशन और बर्तनों के भुगतान की सुविधा के लिए प्रति छात्रा 1000 रुपये देकर स्वयं मेस की व्यवस्था कर रहे हैं, रसोइया उपलबध नहीं है। छात्रावास के पीछे की घेराओ की दीवार नीची है जिससे अतिक्रमियों उत्पन्न हो सकती है एवं छात्रावास में रात्रि के समय कोई गार्ड नहीं होता है, जिससे छात्राएं छात्रावास में असुरक्षित रहती हैं, जो चिंताजनक विषय है।

माननीय सदस्या ने छात्राओं को संबोषित करते हुए उन्हे शिक्षा की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी एवं छात्राओं को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों एवं शक्तियों से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने छात्राओं को बताया कि आयोग अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा के लिए कार्यरत है और इसके लिए समर्पित है।

3. अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ सर्किट हाउस हजारीबाग में बैठक के दौरन उठाए गए मुद्दे:

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय सदस्या डॉ. आशा लकड़ा ने वहां उपस्थित लोगों को आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है। डॉ. लकड़ा ने भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन में आयोग की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि एन.सी.एस.टी. के अधिकारियों द्वारा शिकायतों की जांच करने और एस.टी. समुदायों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है और

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

सुनिश्चित किया जाता है कि एस.टी. समुदाय के अधिकारों को बरकरार रखा जाए और उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया, जिसके दौरान कई याचिका आयोग को सौंपी गयी । चर्चा के दौरान, डॉ. आशा लाकड़ा, माननीय सदस्या ने एस.टी समुदाय के सदस्यों और एसटी संघो के प्रतिनिधियों को एन.सी.एस.टी.ग्राम पोर्टल (www.ncstgrams.gov.in) के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एसटी समुदाय के सदस्य अपनी शिकायतें आसानी से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) के पास सीधे तौर पर दर्ज कर सकते है। उन्हें समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई जिसमें प्रमुख समस्या सरकारी कार्यालयों द्वारा सरकारी सेवाएँ प्रदान करने में स्थानीय बुनियादी ढांचे की कमी शामिल है।

(space for photograph)

अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में चर्चा के दौरान, अनुसूचित जनजाति के समुदायों को प्रभावित करने वाले कई गंभीर मुद्दे चिन्हित की गई, जो निम्नलिखित हैं:

1. **जाति प्रमाणपत्र जारी करने में देरी:-**
   जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अत्यधिक दस्तावेज मांगे जाने तथा हर वर्ष उन्हें नवीनीकृत करने की आवश्यकता के कारण, इनके जारी होने में देरी होती है, जिससे चयनित युवाओं को नौकरी मिलने या शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला में देरी की समस्या है।
2. **अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत धनराशि का भुगतान:-**
   जिले में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत धनराशि की कमी के कारण लाभार्थियों को राहत राशि के भुगतान में देरी हो रही है, कई लाभार्थियों को दो साल से अधिक समय से भुगतान नहीं किया गया है।
3. **सीसीएल उत्तरी तापिन बस्ती में आदिवासियों का पुनर्वास और विस्थापन:-**
   अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को गैर-आदिवासी लोगों द्वारा सीसीएल उत्तरी तापी बस्ती में उनकी जमीन से बलपूर्वक बेदखल किया जा रहा है, हालांकि यह क्षेत्र डीसी रामगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण में है, पुलिस प्रशासन हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक के अधीन है, जहां पुलिस ने अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है।
4. **अनुसूचित जनजाति की भूमि का हनन एवं भूमि बिक्री:-**
   गैर-अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा भू-माफिया के साथ मिल कर, अनुसूचित जनजातियों की जमीन गैर-आदिवासी व्यापारियों को बेच रहे हैं | गैर आदिवासी लोगों द्वारा जमीन पर कब्जा किए जाने के बाद राजस्व कार्यालय द्वारा ऑनलाइन रसीद भी काट दी जाती है, जबकि आदिवासी जमीन के ऑनलाइन रसीद का नवीकरण लंबित है।
5. **PMAYG केंद्र सरकार आवासीय योजना की सेवा प्रदान करना:-** केंद्र सरकार की आवासीय योजना के अंतर्गत दी गयी सुविधाओं का सही तरीके से अनुपालन न करना, महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है।
6. **बालिका एवं बालको के लिए जनजातीय कल्याण छात्रावासों का प्रबंधन:-** बालिकाओं एवम बालको के लिए जनजातीय कल्याण छात्रावासों के प्रबंधन से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला गया।
7. **National park के Eco-sensitive zone से आदिवासियों को जबरन हटाया जाना:-**
   जिले के National park के Eco-sensitive क्षेत्र में कटकमसांडी के 71 से अधिक गांवों को शामिल किए जाने से आदिवासियों को अपनी जमीन से जबरन हटाया जा रहा है और वे अपनी अपनी आजीविका छोड़ने के लिए मजबूर हैं । आदिवासी इस मामले में पुनर्वास और वैकल्पिक आजीविका/ नौकरियों की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।
8. **सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की समय की पाबंदी और उपस्थिति:-** सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की समय की पाबंदी और उपस्थिति को चिंता के विषय के रूप में पहचाना गया है। शिक्षा विभाग को उपस्थिति की नीतियों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली लागू करने पर विचार करना चाहिए कि शिक्षक उपस्थित हैं और अपने कर्तव्यों

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
New Delhi

का पालन कर रहे हैं। इससे छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

9. **गांवों में सड़कों का अभाव:**
घने जंगल में स्थित आदिवासी गांवों में सड़कों की स्थिति दयनीय है, केवल कच्ची सड़कें हैं जो बारिश के दौरान दुर्गम हो जाती हैं, विशेष रूप से कटकमसांडी के पैरवातरी, पटियातारी और मछलीटांड गांवों में, जिससे उनके दैनिक जीवन और अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्रों तक आवागमन प्रभावित हो रहा है। इस मामले में ग्रामीणों द्वारा संबंधित अधिकारियों से अनुरोध भी किया गया है।
10. **अन्य :** कई गांवों में धुम्कुडिया भवन, कला संस्कृती भवन, मसना(श्मशानघाट) और जाहेर स्थान की घेराबन्धी नहीं हुई है जिससे कई समस्या उत्पन्न हो रही है |

4. अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए हजारीबाग जिला के उपायुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ डॉ. आशा लाकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के द्वारा समाहरणालय, हजारीबाग , में की गई बैठक

आरंभ में उपायुक्त ने डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, श्री आर.के.दुबे , उप निदेशक, श्री पी. के. दास, अनुसंधान अधिकारी, श्रीमति सोनल राज, वरिष्ठ अन्वेषक एवं श्री राहुल, अन्वेषक, एन.सी.एस.टी. का स्वागत किया। इसके बाद, विभाग-वार आधार पर चर्चा आयोजित की गई। उपस्थित प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी ने डॉ. आशा लाकड़ा, माननीय सदस्य, एनसीएसटी को अपना परिचय दिया। इन परिचयों के बाद आयोग ने हजारीबाग जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रशासित विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का गहन समीक्षा किया। इस समीक्षा का उद्देश्य इन योजनाओं की प्रभावशीलता, पहुंच और प्रभाव का मूल्यांकन कर यह सुनिश्चित करना था कि जिले में अनुसूचित जनजातियों की वांछित उद्देश्यों और जरूरतों को पूरा करें। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है।

आयोग की अवलोकन एवं अनुषंशाएं

हजारीबाग जिले के उपायुक्त को 57 मदों की एक प्रश्नावली भेजी गई थी, जिसमें जन-सांख्यिकी, साक्षरता, स्वास्थ्य, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन आदि जैसे विभिन्न विषय को शामिल किया गया था। जिला प्रशासन ने इस प्रश्नावली के उत्तर प्रदान किए। 2011 के जनगणना के अनुसार , हजारीबाग जिले में अनुसूचित जनजतियों की संख्या 121768 (07%) है, जिनमे 60796 पुरुष एवं 60972 महिला हैं । निम्नलिखित टिप्पणियाँ और अनुशंशाए, जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑन-साइट तथ्यों और आंकड़ों के साथ-साथ उनके प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं:

1. **शिक्षा विभाग :-**

सभी संकुल स्तर पर बच्चों के कौशल विकास हेतु वाद-विवाद, Orientation Program कराने, बच्चों का ड्रॉपआउट रोकने (उनसे संबंधित प्रमाणित आंकड़े आयोग को प्रस्तुत करें), खेलकूद का आयोजन कराने, प्रखंड स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, अवस्थित विद्यालय भवन को ठीक कराने एवं नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रत्येक 5 कि.मी. की दूरी में 01 उच्च विद्यालय का प्रस्ताव विभाग को भेजने तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कितने प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च विद्यालय संचालित हैं एवं उनमें कार्यरत नियमित/अनियमित शिक्षकों में कितने अनुसूचित जनजाति के शिक्षक हैं से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया जाए। घंटी आधारित शिक्षकों को जिले में 180 रुपए प्रति घंटा दिए जा रहे हैं, जो राज्य में दिए जा रहे 200 रुपए प्रति घंटे से काफी कम हैं , इस दर का प्रशासन द्वारा अध्ययन किया जाए। प्रत्येक प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय में कुल छात्रों में एस.टी. समुदाय के छात्र-छात्राओं की संख्या और इनमें से ड्रॉपआउट बच्चों के प्रमाणित आंकड़े आयोग को प्रस्तुत किए जाएं।

(अनुपालन : जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग)

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

2. <u>आपूर्ति विभाग:-</u>

2.1 जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में अनुसूचित जनजाति के 19,484 भार्थी हैं, जिनमें 754 पीवीटीजी परिवार राशन कार्ड के लाभार्थी शामिल हैं। जन वितरण प्रणाली में कुल कितनी दुकानें हैं, जिनमें समिति और व्यक्तिगत दुकानों की संख्या उपलब्ध कराई जाए। जिले में कितने MO हैं, और सभी प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी प्रभार में हैं, इसकी जानकारी आयोग को उपलब्ध कराई जाए। अपने-अपने क्षेत्र में गरीब परिवारों को लाल कार्ड/अंत्योदय कार्ड का लाभ देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किए जाएं।

2.2 जन वितरण प्रणाली की दुकानों में राशन का वितरण ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। कई ग्रामों में बिजली और सड़क की सुविधा नहीं है, और बरसात के मौसम में ऑनलाइन माध्यम से राशन का वितरण करने में कठिनाई होगी। अतः संबंधित कार्डधारियों को राशन का वितरण ऑफलाइन के माध्यम से करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और डाकिया द्वारा खाद्य वितरण करवाया जाए, खासकर उन लाभार्थियों के लिए जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है। साथ ही, जिन क्षेत्रों में जन वितरण प्रणाली की दुकानों में राशन की आपूर्ति हो रही है या नहीं, इसकी स्थलीय जांच की जाए। जिस क्षेत्र में ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, वहां ऑफलाइन वितरण सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन: अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग)

3. <u>जिला समाज कल्याण विभाग :-</u>

3.1 जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में कुल 34 पर्यवेक्षक हैं और आगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कुल 1770 है, जिनमें 155 आगनबाड़ी केंद्र अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में स्थित हैं और इन सभी से कुल 12573 अनुसूचित जनजाति के बच्चे लाभान्वित हैं। जिले के संबंधित विभाग द्वारा बताया गया कि इनमें से 1694 बड़े आंगनबाड़ी केंद्र और बाकी छोटे केंद्र हैं। विभाग ने आयोग को अनुसूचित जनजाति से संबंधित एवं अन्य सभी गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, और बच्चों की संख्या की भी जानकारी दी। आयोग को आंगनवाड़ी में वितरित पोषाहार की जानकारी दें। ऐसे गांव और बस्तियां चिन्हित करें जहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं हैं और 30-35 परिवार रहते हैं, विभाग ने ऐसे 94 स्थल चिन्हित किए हैं, जिसका विकास जिला प्रशासन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करें।

3.2 जिले में सेविका-सहायिका की संख्या, अनुसूचित जनजाति की सेविका-सहायिका का विवरण, और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। सेविका एवं सहायकों की लंबित राशि का भुगतान समय से करना सुनिश्चित किया जाए, जो कई जगह मई माह से लंबित है। उच्च शिक्षाधारी प्रतिभागियों को प्राथमिकता दें और आंगनबाड़ी केंद्रों को Play School के रूप में विकसित करें, एवं शिक्षित युवाओं को 1 घंटे के लिए केंद्र आने के लिए प्रोत्साहित करें। कुपोषित बच्चों के लिए प्रखंड मुख्यालयों में शिविर लगाएं और Healthy Baby कार्यक्रम आयोजित करें।

3.3 आगनबाड़ी केंद्रों को दिया जाने वाले किराए की राशि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं और पहले और वर्तमान (ग्रामीण और शहरी इलाकों में) में क्या राशि दी जा रही है, उसकी जानकारी भी आयोग को उपलब्ध कराएं और कब से निलंबित है, इसकी भी जानकारी दें। कई समय (15 महीने) से लंबित जलावन की राशि का भुगतान सुनिश्चित करें।

(अनुपालन – जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग)

4. <u>कल्याण विभाग :-</u>

4.1 जिले में कुल अनुसूचित जनजाति के 12 छात्रावास हैं। छात्रावासों में से कुछ का दौरा किया गया था, जिनकी समस्या ऊपर उल्लेखित है, और अन्य में मूलभूत सुविधाओं की कमियों को देखते हुए, समय-समय पर निरीक्षण करें और सुधार करें। जिन छात्रावास में क्षमता से अधिक छात्र एवं छात्राएं रहती हैं, उनकी क्षमताओं में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। छात्रावास में पीने के पानी

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

हेतु RO, पुस्तकालय की सुविधा, रात्री पहरी एवं रसोइया साथ में बर्तन, चूल्हा इत्यादि की सुविधा प्रदान की जाए। कल्याण विभाग द्वारा जिले में नए छात्रावास "G+5" model के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, उसकी प्रतिलिपि आयोग को भी भेजें। अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास की पुरानी इमारत को condemned घोषित किया जाए एवं नए छात्रावास का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाए, जिसकी प्रतिलिपि आयोग को भी भेजी जाए।

4.2 धुमकुड़िया के संबंध में 2022-23 और 2023-24 में कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई, उनकी स्पष्ट जानकारी आयोग को उपलब्ध कराएं, एवं आगामी वर्ष में राज्य सरकार को जिले में धुमकुड़िया प्रदान करने हेतु प्रस्ताव भेजें। भविष्य की योजनाओं में पानी, शौचालय, रसोई और भंडारण की व्यवस्था शामिल करें। आवास योजनाओं जैसे बिरसा आवास, अम्बेडकर आवास और प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों की संख्या की जानकारी एवं इनमें से कितने अनुसूचित जनजाति हैं, उसकी जानकारी आयोग को दें एवं सुनिश्चित करें कि दोहरा लाभ किसी भी लाभार्थी को न मिले। साईकल वितरण, छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओ से सम्बंधित लाभार्थीयो के आकड़े आयोग को प्रस्तुत करें |

(अनुपालन – जिला कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग)

5. <u>पुलिस विभाग :-</u>

5.1 पुलिस अधीक्षक से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में 1 एस०टी०/एस०सी० थाना शामिल हैं। हर थाने में एस०टी०/एस०सी० संबंधित मामलों की प्राथमिकता से प्राथमिकी दर्ज की जाए और केस स्थानांतरित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिला पुलिस अधीक्षक, महिला एवं पुरुष छात्रावास की सुरक्षा हेतु दो-दो गार्ड उपलब्ध कराएं एवं कल्याण विभाग से समन्वय करें।

5.2 आयोग ने सुझाव दिया कि जिले में एक <u>अत्याचार निगरानी समिति</u> बनाई जाए, जिसमें एसटी सदस्य भी हों, जो हर तीन महीने में बैठक कर समीक्षा करेंगे। आयोग ने यह भी प्रकाश डाला कि जिले में एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए फंड की कमी है, जिसके लिए विभाग को राज्य सरकार को पत्र लिखना चाहिए और इसकी एक प्रति आयोग को भी दी जाए।

5.3 तस्करी और पलायन के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए उपाय सुझाएँ और पलायन करने वालों का पंजीकरण अनिवार्य करें। पुलिस विभाग में एस०टी०/एस०सी० केसों की स्थिति की जानकारी दें, जिसमें से कितने केस हल किए जा चुके हैं और कितने अनुसंधान में हैं, यह भी आयोग को बताएं।

(अनुपालन – पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग)

6. <u>कृषि विभाग :-</u>

जिला कृषि पदाधिकारी, हजारीबाग अनुदानित ट्रैक्टर, पम्प सेट, बीज, और अन्य योजनाओं का समय पर और योग्य लाभुकों को वितरण सुनिश्चित करें। कृषि चास भूमि की उपलब्धता कितनी है और कितने किसान मित्र कार्यरत हैं, इनकी जानकारी आयोग को प्रस्तुत करें। कृषि से जुड़े उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए युवा उद्यमियों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए । के०सी०सी० ऋण के लिए जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को किसानों के साथ बैठक कर ऋण उपलब्ध कराएं और और इनमें से कितने अनुसूचित जनजाति लाभान्वित हो रहे हैं, इसका आंकड़ा आयोग को उपलब्ध कराया जाए। क्या जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना/कार्यक्रम विकसित किया गया है, अगर नहीं तो उसे बढ़ावा दिया जाए। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक जिला एक उत्पाद (ODOP) के तहत हजारीबाग में गुड़ को संभावित उत्पाद के रूप में पहचाना गया है, इस संबंध में सुझाव दिया गया है कि इससे वाणिज्यिक मूल्य वर्धित उत्पाद (commercial product) विकसित किए जाएं और डीएमएफ फंड का उपयोग करके अनुसूचित जनजातियों के लिए एफपीओ/एसएचजी विकसित किए जाएं।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

(अनुपालन – जिला कृषि पदाधिकारी, हजारीबाग / जिला अग्रणी बैंक प्रबंधन, हजारीबाग)

7. <u>पशुपालन:-</u>

विभाग ने 1297 लाभार्थियों में से कितने अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को पशुधन वितरित किया गया है, तथा उनमें से कितने पशुओं की मृत्यु हुई है इसका आंकडा उपलब्ध कराया जाए । आयोग ने पशुपालन में स्थानीय नस्ल के पशुओं को महत्व देने तथा पशुधन बीमा के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा करने का सुझाव दिया। मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए आयोग ने कृत्रिम बायो-क्लॉक मछली टैंक के विकास तथा जिले के प्रत्येक ब्लॉक में मत्स्य सहकारी समिति के गठन पर जोर दिया।

(अनुपालन:- पशुपालन विभाग, हजारीबाग)

8. <u>स्वास्थ्य विभाग :-</u>

स्वीकृत पद और रिक्त पद की जानकारी आयोग को प्रस्तुत करें और रिक्त पदों पर अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति जल्द से जल्द कराएं और करने के बाद आयोग को सूचित करें। हजारीबाग में नए खुले सरकारी मेडिकल कॉलेज में 100 प्रतिशत प्रवेश और संकाय एवं कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सदर अस्पताल, हजारीबाग की ओ.पी.डी. रोस्टरवार बना कर अस्पताल में नोटिस में प्रदर्शित करें एवं स्थानीय दैनिक अखबार में प्रकाशित करें, जिससे दूर से आने वाले लोगों को अस्पताल में उपलब्ध डॉक्टर और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी हो सके। अनेमिया, sickle cell जैसे बीमारियों के स्वास्थ्य शिविर विशेषकर कटकमदाग एवं कटकमसांडी प्रखंड में आयोजित कराया जा सकता है।

(अनुपालन:- असैनिक शल्य चिकित्सक, हजारीबाग)

9. <u>वन विभाग:</u>

वन विभाग जिले में किए गए वृक्षारोपण का आंकडा उपलब्ध कराए। आयोग ने वन विभाग को सुझाव दिया कि वह समुदायों को वनपट्टा आवंटित करने के लिए कल्याण विभाग के साथ समन्वय करे, उन्हें ज़रूरतों (खेती, आवास आदि के लिए) के अनुसार विभाजित करे और वनपट्टा आवंटन के लिए लंबित फाइल निरीक्षण में तेज़ी लाए। वन विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों का हनन न हो और Eco-sensitive क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को जबरन उनकी भूमि से बेदखल नहीं किया जाए ।

(अनुपालन: जिला वन अधिकारी, हजारीबाग)

10. <u>पलाश / झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस):</u>

विभागीय जानकारी के अनुसार जिले में एनआरएलएम (NRLM) योजना के तहत 1283 एसटी स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें 12173 अनुसूचित जनजाति की महिलाएं जुड़ी हुई हैं। साथ ही जिले में 05 वनधन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें 1131 अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, जो हर्रा, बेहरा, इमली, करंज, साल के बीज, महुआ आदि की व्यावसायिक बिक्री से लाभान्वित हो रहे हैं। आयोग ने उपरोक्त के अलावा कृषि विभाग के सहयोग से एफपीओ (FPO) के गठन का सुझाव दिया, जहां किसान समूहों विशेष रूप से महिला और एसटी को प्रोत्साहित किया जा सकता है। आयोग ने पीएम कौशल विकास योजना और झारखंड कौशल विकास योजना को मिलाकर एसएचजी/वनधन समूहों को महुआ व्यंजन, गुड़/तिल से बनी मिठाइयां, पैकेजिंग के साथ भुने बीज, रागी स्नैक्स आदि मूल्यवर्धित उत्पादों का प्रशिक्षण देने का भी सुझाव दिया। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

जेएसपीएस कौशल विकास विभाग के साथ मिलकर SHGs को सिलाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबिंग आदि का प्रशिक्षण दे।

(अनुपालन:- जिला कार्य प्रबंधक, JSLPS हजारीबाग)

11. <u>श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग:</u>

आयोग ने वर्ष 2023-24 में सविधि ऋण योजना एवं मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों तथा विभाग द्वारा मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के आंकड़ों पर गौर किया। आयोग ने सुझाव दिया कि अनुसूचित जनजाति एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जाए तथा उन्हें JSPS के समन्वय से PMKVY एवं झारखंड कौशल विकास योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। जिला द्वारा नर्सिंग, टेलरिंग, इलेक्ट्रीशियन एवं अप्लायंसेज जैसे पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसके अतिरिक्त आयोग ने कृषि संबद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। उपरोक्त के अतिरिक्त kabaadi.com के मॉडल के अनुसार नगर निगम के समन्वय से रिसाइक्लिंग (विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल) सेंटर स्थापित करने का सुझाव दिया गया। आयोग ने प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा किए गए प्लेसमेंट की संख्या एवं उनके साथ पंजीकृत कंपनियों की संख्या के आंकड़े भी मांगे, साथ ही प्रासंगिक कौशल पर प्रशिक्षण के लिए सुझाव दिए गए ताकि युवाओं को नौकरी की तलाश में पलायन न करना पड़े।

(अनुपालन: नियोजन पदाधिकारी, हजारीबाग एवं श्रम अधीक्षक, हजारीबाग)

12. **<u>मनरेगा :</u>**-

मनरेगा योजना के संबंधित प्रभारी को जिले में प्रचलित मजदूरी दरों की जानकारी नहीं है, जिले में मजदूरी दरों की जानकारी आयोग को उपलब्ध कराई जाए साथ ही आयोग को block-wise चालू/पूर्ण कार्यों की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाए। जॉब कार्ड, बुजुर्ग, महिला, अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति की महिला, गर्भवती महिला का पृथक-पृथक आंकड़ा आयोग को उपलब्ध कराएं। जिले में संचालित योजना यथा आवास निर्माण कार्य, तालाब निर्माण, नल-जल योजना, पार्ट कूप निर्माण का प्रखंडवार विवरण आयोग को उपलब्ध कराएं। बारिश के समय कितने मेढ-बंदी का कार्य किया गया, इसकी सूचना आयोग को दी जाए। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि बागवानी, बिरसा सिंचाई जैसी परियोजनाएं भी मनरेगा के तहत शुरू की जा सकती हैं।

(अनुपालन- उप विकास आयुक्त/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, हजारीबाग जिला)

13. **<u>बिजली आपूर्ति विभाग</u>**:

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिना मीटर वाले घरों को बिल जारी न किए जाएं और नए कनेक्शन के लिए आवेदनों पर एक महीने के भीतर कार्रवाई की जाए। साथ ही आयोग ने सुझाव दिया कि कल्याण विभाग के साथ समन्वय करके छात्रों को उनकी पढ़ाई के लिए अच्छी वोल्टेज आपूर्ति के लिए प्रत्येक एसटी बालक एवं बालिका छात्रावास में एक मिनी ट्रांसफार्मर लगाया जाना चाहिए।

(अनुपालन : कार्यकारी अभियंता कार्यालय, हजारीबाग; जिला कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग)

14. निष्कर्ष में आयोग ने सुझाओ दिया कि जिला स्तर पर भी एक आतंरिक शिकायत सेल (**Internal Grievance Cell)** गठन करते हुए अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी / सहायक की प्रतिनियुक्ति की जाए, जिससे छोटे-मोटे शिकायत जिला स्तर पर ही निष्पादित किया जा सके।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
न्यू दिल्ली/New Delhi

जिला प्रशासन के सभी विभागों के अपने संबंधित पंचायतों और ब्लॉकों से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लाभार्थियों की स्पष्टता से पहचान करते हुए विस्तृत श्रेणीबद्ध आकड़ों का रख-रखाव करने की सलाह दी जाती है। आयोग ने इन मुद्दों के त्वरित और प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा हजारीबाग जिला प्रशासन से आयोग द्वारा दिये गए सिफारिशों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

****

आशालकड़ा
09/10/2024

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi